मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

अधिकारीः सुरेन्द्र प्रसाद RAS

उनवान

कमरूदीन बनाम भगवान वगै०

2017/32

नम्बर :– 1/17 तारीख रज्जू 06.02.2017

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम

दिनांक : 04.02.2019

वादीगण की उपस्थिति में वाद आज तारीख 04.02.2019 को सहायक कलक्टर, अलवर के समक्ष म निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1603 रकबा है०, 1604 रकबा 0.41 है०, 1903 रकबा 0.38 है०, 1904 रकबा 0.42 है०, 1906 रकबा 0.33 है०, 1907 ग 0.27 है०, 1908 रकबा 0.23 है० कुल किता 7 रकबा 2.44 है० वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर के 6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता कि वादी के 1/6 हिस्से में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे। खर्चा पक्षकारान ना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 04.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर, अलवर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – सुरेन्द्र प्रसाद, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं० 1/17 तारीख रज्जू 06.02.2017

01– कमरूदीन पुत्र श्री लीला जाति मेव निवासी ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर –वादी

बनाम

01– भगवान

02– बालकिशन

03– लंगडा पुत्रान श्री इन्दर पौत्र श्री घम्मन

04– ईमरती बेवा श्री इन्दर पुत्रवधु घम्मन जाति चमार निवासी ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर **–प्रतिवादीगण**

05– तहसीलदार, अलवर लैण्ड होल्डर **–तकमीली प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक: **04.02.2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया है। दावे में कथन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1603 रकबा 0.40 है०, 1604 रकबा 0.41 है०, 1904 रकबा 0.42 है०, 1903 रकबा 0.38 है०, 1906 रकबा 0.33 है०, 1907 रकबा 0.27 है०, 1908 रकबा 0.23 है० कुल किता 7 रकबा 2.44 है० उक्त आराजी में मोती पुत्र भौरा हि० 1/6, चमेली पत्नी मोहनलाल, लक्ष्मण, अम्बीलाल, श्यामलाल हि० [illegible], सन्तो, मूर्ति पुत्रियान मोहनलाल समान भाग हि० 1/6 [illegible] सम्पत्ति पुत्रियान भौरा दर हिस्सा 1/18, धप्पो पत्नी परभाती रामचन्दर, नन्दू हीरालाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

ान लाल पि० परभाती हरबाई, अंगूरी पुत्रियान प्रभाती समान भाग 1/18, कप्तान ...मचन्द, पून्या राम, सुरेश चन्द पि० परभाती समान भाग हि० 1/18 कप्तान ...ंह पुत्र अर्जुन सिह, कल्याण सहाय पुत्र अडीराम जाति नट साकिन देह 1/6, ...ामसहाय, हरभजन पि० जुम्मा, मीरा, धूपा, बाला पुत्री जुम्मा 1/6 कन्हैया पुत्र गोपी 1/6 हि०, धारासिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति मजहबी सा.देह. 1/6 खातेदार इंतकाल नम्बर 3, 7, 8 विरासत वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर में स्थित है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 101 पर खातेदारों का अंकन दर्ज रिकार्ड किया हुआ है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1603 रकबा 0.40 है०, 1604 रकबा 0.41 है०, 1904 रकबा 0.42 है०, 1903 रकबा 0.38 है०, 1906 रकबा 0.33 है०, 1907 रकबा 0.27 है०, 1908 रकबा 0.23 है० के गत खसरा नम्बर 870 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा व 871 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा बने है तथा सम्वत् 2020 से पूर्व गत खसरा नम्बर 351 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा एवसं खसरा नम्बर 352 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम साहोडी बने है। वादी ने अपना सजरा निम्न प्रकार वाद में दर्शित किया है :–

कमरूदीन पुत्र लीला व चन्दों बेवा इमामखां व ईमामखा पुत्र इलाही बक्स दर्ज किया है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 1999 व खसरा टीप सम्वत् 2003 व इससे पूर्व विवादित आराजी को इससे पूर्व वादी के पडदादा ईलाही बक्स व ईमामखां व लीला व उसके बाद मिन वादी कमरूदीन काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में वादी कमरूदीन का 1/6 हिस्सा है जिस पर वह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2036 में मिन वादी के 1/6 हिस्से की आराजी पर घम्मन पुत्र बुला का नाम राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दिया। जो जमाबन्दी सम्वत् 2042 में भी रीपीट हुआ। जबकि प्रतिवादीगण के पिता/पति दादा/ससुर का विवादित आराजी में कोई सरोकार व सम्बन्ध नही रहा ना ही कभी कब्जा रहा। प्रतिवादीगया गैर काबिल गैर वाजिब है। मौके पर मिन वादी का कब्जा मौजूद है। सम्वत 2036 व 2042 में जमाबन्दी से वादी का 1/6 हिस्सा ही समाप्त कर दिया। केवल 5 हिस्से ही दर्ज किये है। वादी के 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(9)

हिस्से को दर्ज करना भूल गये। जान बूझ कर उन्होनें मिन वादी के 1/6 हिस्से को दर्ज नही किया है। जो जमाबन्दी मिसल हकीयत दावे के साथ पेश की है। जमाबन्दी मिसल हकीयत सम्वत 2051 में केवल 5 हिस्सेदारों के 1/6, 1/6 हिस्से दर्ज किये है, जब हिस्सेदार 5 है तो 1/6 हिस्सा किस हिसाब से दर्ज किया है। जो संदेहास्प्रद प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के हिस्सेदार 6 है लेकिन केवल पांच हिस्सेदारों के नाम दर्ज कर छठा हिस्सा जो मिन वादी का था उसे दर्ज नही किया जो राजस्व कर्मचारियों की बदयान्ति पर आधारित है। उक्त गलती की जानकारी वादी को हुई तो वादी ने इसे दुरूस्त कराने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादी दुरूस्ती कराने से इन्कार कर दिया और कहा आप दावा करके दुरूस्ती करा ले हमें कोई एतराज नही है। वादी का उक्त आराजी के 1/6 हिस्से पर सम्वत 2003 के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। यानि अरसे दराज बुजुर्गो के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर सैटलमेन्ट के पूर्व से ही वादी के बुर्जुग इलाही बक्स, इमाम खां व लीला एवं मिन वादी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में वादी के परदादा इलाई बक्स का 1999 से ही दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज घम्मन व इन्दर का कभी कोई कब्जा नही रहा । प्रतिवादीगण गैर काबिज एवं गैर वास्ता शख्स है। मिसल हकीयत सम्वत् 2051 में वादी के 1/6 हिस्से को दर्ज ही नही किया ओर 6 हिस्सों पर 5 काश्तकारों का नाम दर्ज किया है 1/6 हिस्सा छोड दिया गया है जिस पर किसी का भी नाम दर्ज किया है। यह इन्द्राज बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के किये गये है। सैटलमेन्ट कर्मचारियान को इन्द्राज तबदील करने का कोई नैतिक एवं विधिक अधिकार किसी किस्म का नही है। साबिक इन्द्राज को रीपीट कर विवादित आराजी को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था। सैटलमेन्ट कर्मचारियान ने दौरान ए सैटलमेन्ट पांच हिस्से दर्ज किये है एवं 1/6, 1/6 हिस्से दर्ज किये है। वादी के 1/6 हिस्से को दर्ज नही किया है। जबकि वादी का 1/6 हिस्सा उक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज किया जाना चाहिए था जो नही किया है। वादी ने वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

र्थना की है एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर 1/6 हिस्सें का अंकन कराने खातेदार काश्तकार घोषित कराने की प्रार्थना की है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने न्यायालम मे अपने वकील के साथ उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश किया। जिसमें प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी में हमारा किसी प्रकार को कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है ना हमारा कब्जा रहा है। वर्तमान में वादी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में हमारे पूर्वज घम्मन, इन्दर का नाम व हमारा नाम दर्ज किया है जो गलत है। हमारा नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर दिया जावे तो हमे कोई एतराज नही है। वादी ने सही प्रकार से अपना दावा पेश किया है। जिसे डिक्री कर दिया जावे तो हमे कोई आपत्ति एतराज नही है ओर ना ही भविष्य में एतराज होगा। प्रतिवादी संख्या–05 तहसीलदार अलवर लैण्ड होल्डर ने अपना जवाब पेश किया। न्यायालय को निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज किया जावे। तनकी निम्नानुसार कायम की गईः–

01– आया वादी हाल खसरा नम्बर 1603 रकबा 0.40 है०, 1604 रकबा 0.41 है०, 1904 रकबा 0.42 है०, 1903 रकबा 0.38 है०, 1906 रकबा 0.33 है०, 1907 रकबा 0.27 है०, 1908 रकबा 0.23 है० कुल किता 7 रकबा 2.44 है० में 1/6 हिस्से के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है।

02– आया राजस्व कर्मचारियों एवं भू प्रबन्धक कर्मचारियान को जमाबन्दी के इन्द्राजात को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है, सिर्फ उन्हे जमाबन्दी के इन्द्राज को रीपीट करना चाहिए था।

03– आया वादी वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(11)

04– आया वादग्रस्त आराजी मे वादी का कोई हिस्सा ना होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जावे।

05– दादरसी

वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रदर्श–1 एवं शपथ पत्र नूर मौहम्मद प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2042–2045 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 1999 प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल 2051 प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल 2020 प्रदर्श–6, खसरा टीप दिनांक 12.3.1944 से 28.2.1947, सम्वत 2000, 2001, 2003 प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्वत 2037–2040 प्रदर्श–8, जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 प्रदर्श–9, जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 प्रदर्श–10, जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 प्रदर्श–11, जमाबन्दी सम्वत 1999 प्रदर्श–12, खसरा टीप सम्वत 1940, 1941 एव 1942 प्रदर्श–13 पेश किया है।

जमाबन्दी सम्वत 1999 के खाता संख्या 5 पर इलाई वल्द छोटा मेव साकिन देह गैर मौरूसी निस्फ 1/2 का अंकन किया हुआ है। इलाई पुत्र छोटा वादी का परदादा है। पेश की है। जिस पर भी साबिक खसरा नम्बर 351, 352 पर इलाई बक्स वल्द छोटा बख्तू पुत्र छोटा मेव साकिन देह गैर मोरूसी का अंकन है। जमाबन्दी 2037–2040 के खाता संख्या 57 पर गत खसरा नम्बर 870 व 871 पर प्रतिवादीगण का नाम बिला किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज किया है जो गलत है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 में भी प्रतिवादीगण के नाम का अंकन किया है जो भी किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना दर्ज किया गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 2069 से 2072 में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन नही किया गया है ना ही वादी के नाम का अंकन किया है जिसे दुरूस्त कराने हेतु यह वाद वादी द्वारा पेश किया गया है। हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2051 की मिसल के खाता संख्या 219 पर पॉच हिस्सेदारों के 1/6, 1/6 हिस्से दर्ज किये है। वादी का हिस्सा 1/6 दर्ज करना सैटलमेन्ट कर्मचारी भूल गये। वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था जो सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2003 के खाता नम्बर 2/2 पर आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 3 बीघा 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

वा खुदकाश्त का अंकन किया हुआ है एवं खाता संख्या 43 पर भी खसरा बर 351 पर खुदकाश्त का अंकन किया हुआ है। खसरा टीप सम्वत 2003 जा साहोडी में बख्तू पुत्र छोटा हिस्सेदार एवं खसरा नम्बर 352 पर इलाई क्स वल्द छोटा मेव साकिन देह गैर मौरूसी का अंकन किया हुआ है। एक ग्रयाप्रति शपथ पत्र दिनांक 14.08.81 घम्मन पुत्र बुद्धा जाति चमार निवासी ग्राम साहोडी पेश किया जिसमें शपथ ग्रहिता ने जाहिर किया है कि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम का गलत इन्द्राज हो गया है मैने व मेरे बुजुर्गान ने कभी भी काश्त नही की है ओर ना ही हमार कब्जा रहा है। उक्त आराजी के 1/6 हिस्से पर कमरूदीन पुत्र लीला मेव उम्र 25 साल निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर पर वादी के बुजुर्गान का कब्जा काश्त रहा है ओर ये काश्त करते थे।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद में पेश दस्तावेजात का हवाला देते हुए एवं राजस्व कर्मचारियान द्वारा राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम अधिकारी के इन्द्राजात को तबदील करने का कोई अधिकार नही है कर्मचारियान को जमाबन्दी के इन्द्राजात को रीपीट करना चाहिए था। जमाबन्दी में जो इन्द्राजात तबदील किये गये है उन्हें दुरूस्त कर वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की एवं प्रतिवादीगण को वादी के 1/6 हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत ना करने बाबत उन्हे पाबन्द करने की भी प्रार्थना की। प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना इकबाल दावा पेश किया है एवं वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज कर कागजात माल में अमल करा दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वकील वादी ने वादी का वाद डिक्री करने की प्रार्थना की।

तनकीयात का निर्णय इस प्रकार किया जाता है:—

01— आया वादी हाल खसरा नम्बर 1603 रकबा 0.40 है०, 1604 रकबा 0.41 है०, 1904 रकबा 0.42 है०, 1905 रकबा 0.10 है०, 1906 रकबा 0.33 है०, 1907 रकबा 0.27 है०, 1908 रकबा 0.21 है० कुल किता 7 रकबा 2.44 है० में 1/6 हिस्से के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(12)

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 1999 व खसरा टीप सम्वत् 2003 व
से पूर्व विवादित आराजी को इससे पूर्व वादी के पडदादा ईलाही बक्स व
मखां व लीला व उसके बाद मिन वादी कमरूदीन काबिज रहकर काश्त
रता चला आ रहा है। उक्त आराजी में वादी कमरूदीन का 1/6 हिस्सा है
स पर वह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत्
036 में मिन वादी के 1/6 हिस्से की आराजी पर घम्मन पुत्र बुला का नाम
राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दिया। जो जमाबन्दी सम्वत् 2042 में भी रीपीट
हुआ। जबकि प्रतिवादीगण के पिता/पति दादा/ससुर का विवादित आराजी में
कोई सरोकार व सम्बन्ध नही रहा ना ही कभी कब्जा रहा। प्रतिवादीगया गैर
काबिल गैर वास्ता शख्स है। आज भी मौके पर मिन वादी का कब्जा मौजूद है।
सम्वत 2036 से 2042 की जमाबन्दी में से वादी का 1/6 हिस्सा ही समाप्त
कर दिया। केवल 5 हिस्से ही दर्ज किये है। वादी के 1/6 हिस्से को दर्ज
करना भूल गये। जान बूझ कर उन्होनें मिन वादी के 1/6 हिस्से को दर्ज नही
किया है। जो जमाबन्दी मिसल हकीयत दावे के साथ पेश की है। जमाबन्दी
मिसल हकीयत सम्वत 2051 में केवल 5 हिस्सेदारों के 1/6, 1/6 हिस्से दर्ज
किये है। जब हिस्सेदार 5 है तो 1/6 हिस्सा किस हिसाब से दर्ज किया है।
जो संदेहास्प्रद प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के
हिस्सेदार 6 है लेकिन केवल पांच हिस्सेदारों के नाम दर्ज कर छठा हिस्सा जो
मिन वादी का था उसे दर्ज नही किया जो राजस्व कर्मचारियों की बदयान्ति
पर आधारित है। उक्त गलती की जानकारी वादी को हुई तो वादी ने इसे
दुरूस्त कराने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादी दुरूस्ती कराने से
इन्कार कर दिया और कहा आप दावा करके दुरूस्ती करा ले हमें कोई एतराज
नही है। वादी का उक्त आराजी के 1/6 हिस्से पर सम्वत 2003 के पूर्व से ही
कब्जा चला आ रहा है। यानि अरसे दराज बुजुर्गो के समय से ही काबिज
रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर सैटलमेन्ट के पूर्व से ही
वादी के बुर्जुग इलाही बक्स, इमाम खां व ली... मिन वादी काबिज रहकर
काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में ... के पड़दादा इलाई बक्स
का 1999 से ही दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी...ण व उनके पूर्वज घम्मन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(15)

का कभी कोई कब्जा नही रहा । प्रतिवादीगण गैर काबिज एवं गैर वास्ता ा है। मिसल हकीयत सम्वत् 2051 में वादी के 1/6 हिस्से को दर्ज ही किया ओर पॉच काश्तकारों को 1/6, 1/6 हि० का खातेदार गलत तरीके खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज किया है। यह इन्द्राज बिना किसी ाम न्यायालय के आदेश के किये गये है। सैटलमेन्ट कर्मचारियान को इन्द्राज बदील करने का कोई नैतिक एवं विधिक अधिकार किसी किस्म का नही है। ाबिक इन्द्राज को रीपीट कर विवादित आराजी को वादी के नाम खातेदारी में र्ज करना चाहिए था। सैटलमेन्ट कर्मचारियान ने दौरान ए सैटलमेन्ट पांच काश्तकारों के नाम 1/6, 1/6 हिस्से दर्ज किये है। वादी के 1/6 हिस्से को दर्ज नही किया है। जबकि वादी का 1/6 हिस्सा उक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज किया जाना चाहिए था जो नही किया है। वादी ने वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की है एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर 1/6 हिस्सें का अंकन कराने व खातेदार काश्तकार घोषित कराने की प्रार्थना की है। वादी इस तनकी को साबित करने में सफल रहा है यह तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

02— आया राजस्व कर्मचारियों एवं भू प्रबन्धक कर्मचारियान को जमाबन्दी के इन्द्राजात को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है, सिर्फ उन्हे जमाबन्दी के इन्द्राज को रीपीट करना चाहिए था।

वादी द्वारा जमाबन्दी मिसल हकीयत दावे के साथ पेश की है। जमाबन्दी मिसल हकीयत सम्वत 2051 में केवल 5 काश्तकारों के नाम 1/6, 1/6 हिस्से दर्ज किये है। जब काश्तकार 5 है तो 1/6 हिस्सा किस हिसाब से दर्ज किया है। जो संदेहास्प्रद प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के हिस्सेदार 6 है लेकिन केवल पांच हिस्सेदारों के नाम दर्ज कर छठा हिस्सा जो मिन वादी का था उसे दर्ज नही किया जो राजस्व कर्मचारियों की बदयान्ति पर आधारित है। उक्त गलती की जानकारी वादी को हुई तो वादी ने इसे दुरूस्त कराने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादी दुरूस्ती कराने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:39:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(16)

राजस्व कर्मचारियान ने दर्ज नही किया। वादी अपने आराजी की सुरक्षा प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादी पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित कर तय की जाती है।

– आया वादग्रस्त आराजी मे वादी का कोई हिस्सा ना होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जावे।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रदर्श–1 एवं शपथ पत्र नूर मोहम्मद प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2042–2045 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 1999 प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल 2051 प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल 2020 प्रदर्श–6, खसरा टीप दिनांक 12.3.1944 से 28.2.1947, सम्वत 2000, 2001, 2003 प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्वत 2037–2040 प्रदर्श–8, जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 प्रदर्श–9, जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 प्रदर्श–10, जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 प्रदर्श–11, जमाबन्दी सम्वत 1999 प्रदर्श–12, खसरा टीप सम्वत 1940, 1941 एव 1942 प्रदर्श–13 पेश किया है।

जमाबन्दी सम्वत 1999 के खाता संख्या 5 पर इलाई वल्द छोटा मेव साकिन देह गैर मौरूसी निस्फ 1/2 का अंकन किया हुआ है। इलाई पुत्र छोटा वादी का परदादा है एवं बख्तू पुत्र छोटा लावल्द फौत हो गया जिसका वारिस वादी ही है। जिस पर भी साबिक खसरा नम्बर 351, 352 पर इलाई बक्स वल्द छोटा बख्तू पुत्र छोटा मेव साकिन देह गैर मोरूसी का अंकन है। जमाबन्दी 2037–2040 के खाता संख्या 57 पर गत खसरा नम्बर 870 व 871 पर प्रतिवादीगण का नाम बिला किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज किया है जो गलत है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 में भी प्रतिवादीगण के नाम का अंकन किया है जो भी किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना दर्ज किया गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 2069 से 2072 में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन नही किया गया है ना ही वादी के नाम का अंकन किया है जिसे दुरूस्त कराने हेतु यह वाद वादी द्वारा पेश किया गया। हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2051 की मिसल के खाता संख्या 219 पर पांच खसरेदारों के 1/6, 1/6 हिस्से दर्ज किये है। वादी का हिस्सा 1/6 दर्ज करना सैटलमेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

ारी भूल गये। वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था जो सैटलमेन्ट ारियों द्वारा दर्ज नही किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2003 के खाता र 2/2 पर आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा खुदकाश्त अंकन किया हुआ है एवं खाता संख्या 43 पर भी खसरा नम्बर 351 पर दकाश्त का अंकन किया हुआ है। खसरा टीप सम्वत 2003 मौजा साहोडी में ख्तू पुत्र छोटा हिस्सेदार एवं खसरा नम्बर 352 पर इलाई बक्स वल्द छोटा व साकिन देह गैर मौरूसी का अंकन किया हुआ है। एक छायाप्रति शपथ पत्र देनांक 14.08.81 घम्मन पुत्र बुद्धा जाति चमार निवासी ग्राम साहोडी पेश किया जिसमें शपथ ग्रहिता ने जाहिर किया है कि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम का गलत इन्द्राज हो गया है मैने व मेरे बुजुर्गान ने कभी भी काश्त नही की है ओर ना ही हमार कब्जा रहा है। उक्त आराजी के 1/6 हिस्से पर कमरूदीन पुत्र लीला मेव उम्र 25 साल निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर पर वादी के बुजुर्गान का कब्जा काश्त रहा है ओर ये काश्त करते थे। इस तनकी को भी वादी साबित करने में सफल रहा है। प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नही की है। यह तनकी भी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित कर तय की जाती है।

05– दादरसी

सभी तनकीयात वादी के पक्ष में निर्णित होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई है इसलिए यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित कर तय की जाती है।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। समस्त तनकीयात वादी के पक्ष में निर्णित हुई है। हम वादी का वाद डिक्री करना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद इस प्रकार निर्णय कर डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1603 रकबा 0.40 है0, 1905 रकबा 0.41 है0, 1903 रकबा 0.38 है0, 1904 रकबा 0.42 है0, 1906 रकबा 0.33 है0, 1907

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

0.27 है०, 1908 रकबा 0.23 है० कुल किता 7 रकबा 2.44 है० वाके ग्राम डी तहसील अलवर के 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित ा जाता है एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी के 1/6 से में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे। निर्णय सुनाया गया। ानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर द तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(18)

(सुरेन्द्र प्रसाद)
सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:59:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner